न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 83/2025 निर्णय दिनांकः 07/04/2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/163

मेघनाथ पुत्र गणपतनाथ उर्फ गणपतनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान ।

–प्रार्थी –

बनाम

1. केशराराम पुत्र गीधाराम
2. सोहनराम पुत्र केशराराम
3. ओमप्रकाश पुत्र केशराराम
4. उदाराम पुत्र केशराराम
5. गणपतराम पुत्र केशराराम

जाति जाट निवासीगण बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,श्रीडूंगरगढ. जिला

–अप्रार्थीगण–

1. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 5
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनवानी दावा न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 834/649 तादादी 1.6590 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है, जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 848/172 तादादी 4.300 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, जो प्रार्थी के उतरी तरफ चिपता स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 834/649 से किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 द्वारा प्रार्थी को तंग, परेशान करते रहते है तथा प्रार्थी के खातेदारी खेत की उतरी सींव को तोड़कर काबिज होना चाहते है । अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 848/172 में आवागमन हेतु पिछले 50 वर्षो से चले आ रहे गांव बेनीसर से चलकर पेमनाथ के खेत फंटकर आगे बनानाथ के खेत से होते हुये सत्यनारायण के खेत में प्रवेश करते हुये आगे अपने भाई नौरंगराम के खेत में प्रवेश करते हुये अपने खेत में प्रवेश करता है। इसी रास्ता से अप्रार्थीगण पिछले 50 वर्षो से आवागमन करते रहे व इसी रास्ते से अपने संसाधन आदि ले जाते रहे है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

834/649 से कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही अप्रार्थीगण का रास्ता प्रार्थी के खातेदारी के खेत में से होकर गुजरता है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 834/649 में बेनीसर दुलचासर जाने वाले रास्ता से फंटकर प्रवेश करता है । यह रास्ता गांव बेनीसर से निकलता है जो आगे जाकर दो रास्तो में फंट जाता है एक रास्ता दुलचासर की तरफ जाता है व दूसरा रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो में से होकर गुजरता है । अप्रार्थीगण हमेशा से गांव बेनीसर से निकलने वाले रास्ता से फंटकर जाने वाले रास्ते से अपने खेत में जाते है। प्रार्थी के खातेदारी खेत में से कभी भी अप्रार्थीगण के खेत का रास्ता नहीं रहा है, ना ही वर्तमान में प्रार्थी के खातेदारी में से कोई रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में जाता है । अप्रार्थीगण अब प्रार्थी के खातेदारी खेत पर रास्ता निकालने के बहाने काबिज होने पर आमादा है, इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। दिनांक 20.05.2025 को अप्रार्थीगण अपने साथ पटवारी, पटवार हल्का लखासर को लेकर आये और प्रार्थी के खातेदारी खेत का नापजोख करने लगे तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से इस बाबत पूछा तो उन्होने बताया कि हम आपके खेत में से हमारे खेत तक रास्ता निकालेगे, यह रास्ता हमारे खेत में जाने के लिये ज्यादा सुविधामन्द है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि रास्ता के बहाने हम आपके खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगे, हमारी राजनैतिक पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इस प्रकार प्रार्थी के पास अपने अधिकारो की रक्षार्थ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है । वादगत खेत खसरा नम्बर 834/649 की खातेदारी प्रार्थी के नाम है तथा जिस पर प्रार्थी का कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.05.2025 को प्रार्थी को रास्ता निकालने के बहाने प्रार्थी के खातेदारी खेत पर कब्जा करने की धमकी दी है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वोह प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 834/649 तादादी 1.6590 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में से किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकाले, ना ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में प्रवेश करे, ना ही प्रार्थी के कब्जा, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा करे, ना ही किसी अन्य से करावे, ना ही सींव को नष्ट करे, ना ही कब्जा करे तथा ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नही करे जो प्रार्थी के वैध अधिकारो के विपरित हो तथा तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन के माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान के न्यायिक दृष्टान्त RRD August, 2000 के पृष्ठ संख्या 365 से 366 भगवानाराम बनाम औंकार वगै. एवं RLW 2005(2) RJ पृष्ठ संख्या 218 से 221 मेहर चन्द बनाम ओम प्रकाश पेश किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण अपने खेत खसरा नं. 848/172, 846/ 172, 847/ 172, 849/172, 850/172 (पुराना मूल खसरा 172 तादादी 11.3800 हैक्ट) के खेतों मे वादी के खेत खसरा नं. 834/649 में से प्रवेश कर उक्त खेतों में आवागमन करते है। अप्रार्थीगण अपने गांव बेनीसर से दूलचासर जाने वाले मार्ग से फंट कर उतरी दिशा में स्थित वादी के 834/649 की पश्चिमी सींव के पास पास से होकर अपने उक्त खसरा नं. 848/172 में दक्षिणी सींव में प्रवेश करते है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण 50 वर्षो से उपयोग उपभोग ले रहे है। निर्बाधित रूप से आवागमन कर रहे है। अप्रार्थीगण ने अपने उक्त खसरान में ट्यूबवेल बना रखा है तथा रबी व खरीफ की फसल उगाते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के उक्त प्रचलित रास्ते को जान बूझकर दिनांक 16.05.2025 को जबरन बंद कर दिया। जिसपर उसी दिन अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 16.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र बाबत उक्त प्रचलित रास्ता खुलवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय ने आदेश जारी कर हल्का पटवारी को आदेशित किया कि वो प्रार्थी व अप्रार्थी को सुचित कर उक्त प्रचलित रास्ते की मौके रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दिनांक 20.05.2025 को हल्का पटवारी बेनीसर मय टीम उक्त वादगत स्थल पर पहुंची तथा मौका रिपोर्ट व नक्शा बना कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी मेघनाथ को उक्त बंद प्रचलित रास्ते को पुनः खोलने बाबत कहा तो मेघनाथ ने रास्ता खोलने से साफ इंकार कर दिया तथा कहा कि मैंने ये रास्ता बंद किया है मैं रास्ता किसी भी किमत पर नही खोलूंगा राज हमारा है तुम लोगो से जो बन पडता है वो कर लो। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पश्चात तहसीलदार महोदय ने एक कार्यालय आदेश क्रमांक राजस्व/2025/603 दिनांक 23.05.2025 को इस आशय से प्रहलादसिंह गिरदावर सर्कल शेरूणा हल्का पटवारी निर्मल पारीक हल्का पटवारी शेरूणा मोकेश कुमार लाम्बा को उक्त प्रचलित रास्ता खुलवाने बाबत पांबद किया तथा इसी क्रम में उक्त आदेश की पालना बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ व सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी बेनीसर को भी उक्त रास्ता खुलवाने बाबत सूचना की गई। उक्त आदेश होने के पश्चात प्रार्थी ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुये तथ्यों को छुपाकर बाला बाला उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु न्यायालाय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थी की शुरू से ही गलत मंशा थी इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के उक्त प्रचलित रास्ते को बुरी मंशा से रास्ता बंद कर दिया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। उक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही बल्कि काबिले खारिज है। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रचलित रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

को कटानी रास्ता कायम करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जो कि वर्तमान मे विचाराधीन है जो उक्त प्रार्थना पत्र के स्थगन आदेश से प्रभावित हो रहा है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय को मुगालते में रखते हुये सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी क्लीन हैंड से न्यायालय के समक्ष नही आया है। इसलिए प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार की कोई रीलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ना ही प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र चलने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र और बहस में वादगत खेत में से होकर प्रचलित रास्ता होने का कथन किया है एवम् कथन किया है कि उक्त रास्ते को प्रार्थी ने बंद कर दिया है। अतः यदि तहसीलदार के पास उपर्युक्त प्रकृति का कोई प्रकरण जैरकार है तो वह उक्त विवाद का निस्तारण दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। चूंकि उभयपक्षकारान द्वारा उठाये गये बिन्दूओं का निर्धारण मूल वाद में पूर्ण साक्ष्य उपरान्त ही किया जाना संभव है एवं यदि वादगत भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है एवं दौराने वाद वादगत भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता एवम् वाद निर्धारण में जटिलता बढ़ेगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 834/649 तादादी 1.6590 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपर्युक्त अस्थायी निषेधाज्ञा रास्ते संबंधी विवाद के तहसीलदार के न्याय निर्णय एवं उसके प्रवर्तन पर लागू नहीं रहेगी।

आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)